

राजस्थान सरकार

वन विभाग

जयपुर, दिनांक: 26.04.2023

क्रमांक: एफ 3 (20) वन / 2013

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा बारा जिले की अन्ता तहसील की 427.22 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण अनुसूची-1 में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची-2 के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सोरसन संरक्षण आरक्षित द्वितीय (conservation reserve) घोषित करती है, जिसे भविष्य में सोरसन संरक्षण आरक्षित द्वितीय के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची-1

क. स.	नाम कन्जर्वेशन रिजर्व	सम्मिलित वनखण्डों के नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति
1	सोरसन संरक्षण आरक्षित द्वितीय	सोरसन "ब"	सम्पूर्ण वनखण्ड	427.22	रक्षित

खसरा वार भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल हेक्टर में		विशेष विवरण
				खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
बारा	अन्ता	सोरसन "ब"	सोरसन	1524	20.06	
				1525	21.38	
				1526	16.06	
				1527	26.00	
				1528	32.85	
				1529	31.50	
				1530	17.60	
				1531	21.00	
				1532	20.00	
				1533	15.00	
				1543	12.49	
				1544	11.45	
				1548	24.36	
				1552	20.00	
				1781	15.26	
				1784	6.31	
				1785	0.80	

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:16 IST
Reason: Approved

			1786	9.00	
			1787	9.00	
			1788	9.00	
			1789	9.00	
			1790	13.34	
			1791	6.00	
			1795	12.00	
			1796	11.10	
			1797	8.00	
			1798	12.00	
			1799	7.56	
			1796/1968	0.90	
		योग	29	427.22	

अनुसूची-2

सोरसन संरक्षण आरक्षिति-द्वितीय की सीमाएँ

उत्तरी सीमा:- वनखण्ड सोरसन "बी" के उत्तर पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा में सोरसन ब्रह्माणी माताजी के मंदिर तक।

पूर्वी सीमा:- ब्रह्माणी माताजी के मंदिर के पास वनखण्ड सोरसन "बी" के उत्तर पूर्वी कोने से दक्षिण दिशा में सोरसन सांगोद पक्की सड़क तक, यहाँ से पक्की सड़क के किनारे-किनारे दक्षिण पश्चिम की ओर ग्राम डाबला की ओर जाने वाली ग्रेवल सड़क तक।

दक्षिणी सीमा:- सोरसन-सांगोद पक्की सड़क पर स्थित वनखण्ड सोरसन "बी" के दक्षिण पूर्वी कोने से पश्चिम में परवन नदी के किनारे स्थित ग्राम डाबला तक।

पश्चिमी सीमा:- ग्राम डाबला के पास वनखण्ड सोरसन "बी" के दक्षिण पश्चिमी कोने से उत्तर दिशा में परवन नदी के समानांतर ग्राम आसन नकटी का होते हुए वनखण्ड सोरसन "बी" के उत्तर पश्चिमी कोने तक।

इसका कुल क्षेत्रफल 427.22 हैक्टेयर होगा।

इस प्रकार सोरसन संरक्षण आरक्षिति (सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व) द्वितीय घोषित हो जाने के उपरान्त ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि सोरसन संरक्षण आरक्षिति द्वितीय की सीमाओं के निकट निवास करता है, उसका यह दायित्व होगा कि,-

1. वन इन कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकेगा।
2. यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती है कि इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का अपराध होता है तो वह

Signature valid
Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:16 IST
Reason: Approved

- पर्याधियों को पहचानने एवं उन्हें गिरफ्तार कराने में स्थानीय वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
3. किसी भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर उसके शव की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनाधिकारी उसको अपने कब्जे में नहीं ले लेता है।
 4. कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में न तो आग जलाएगा और न ही आग को जंगल में जलता हुआ छोड़ेगा। जंगल में आग लगाने अथवा आग लगने की जानकारी होने पर उसके शमन का पूर्ण प्रयत्न करेगा तथा उसको जंगल में फैलने से रोकेंगा तथा वन अधिकारियों का सहयोग करेगा।
 5. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा चिन्हों को न तो नुकसान पहुँचायेगा और न ही उन्हें परिवर्तित अथवा खण्डित करने का प्रयास करेगा।
 6. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा में स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्यजीवों के साथ न तो छेड़खानी करेगा और न उन्हें सता कर परेशान करेगा।
 7. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में गंदगी नहीं फैलाएगा।
 8. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए हानिकारक एवं घातक रसायन अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मोनाली सेन)

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव / मंत्री / राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख शासन सचिव / समस्त शासन सचिव
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को Reams के माध्यम से गजट में प्रकाशित करवाने का श्रम करें
8. संभागीय आयुक्त,
9. मुख्य वन संरक्षक,
10. जिला कलक्टर,
11. उप वन संरक्षक,
12. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग-8
13. गार्ड फ़ावली।

Signature valid (वन)

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:16 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित हैं :-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़ी, नई दिल्ली।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:16 IST
Reason: Approved